

**उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर**

// आदेश //

क्रमांक

**B/505**


जबलपुर, दिनांक 17/01/2022

निम्नलिखित आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्त नियम 1976 के नियम 4(एक) के अंतर्गत 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य के रूप में, वेतनमान रूपये 4440-7440 + ग्रेड पे रू. 1300/- (7 वे वेतनमान में लेवल 1 पे मेट्रीक्स 15500-49000) में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त व्यवर्तित करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नांकित शर्तों पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर की स्थापना पर नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है :-

क्रमांक	नाम	टीप
1	2	3
1.	श्री पुरुषोत्तम लाल कचेर,	रिक्त पद पर
2.	श्री करण चौहान,	श्री प्रमोद गिरी, नवगठित सेवा के सदस्य की पदोन्नति कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रूम अटेंडेन्ट के पद पर होने के फलस्वरूप होने वाले नवगठित सेवा के सदस्य के रिक्त पद पर
3.	श्री पुष्पराज कुशावाहा,	श्री राजेश सुनेरिया, नवगठित सेवा के सदस्य की पदोन्नति कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रूम अटेंडेन्ट के पद पर होने के फलस्वरूप होने वाले नवगठित सेवा के सदस्य के रिक्त पद पर
4.	श्री सुरेश सेन,	श्री धनेन्द्र सेन, नवगठित सेवा के सदस्य की पदोन्नति कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रूम अटेंडेन्ट के पद पर होने के फलस्वरूप होने वाले नवगठित सेवा के सदस्य के रिक्त पद पर
5.	श्री सोनू नागर,	श्री बिन्नीराम नियोपाने, नवगठित सेवा के सदस्य की पदोन्नति कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रूम अटेंडेन्ट के पद पर होने के फलस्वरूप होने वाले नवगठित सेवा के सदस्य के रिक्त पद पर
6.	श्री रजीत डावर,	श्री रवि खेर, नवगठित सेवा के सदस्य की पदोन्नति सफाईवाला के पद पर होने के फलस्वरूप होने वाले नवगठित सेवा के सदस्य के रिक्त पद पर
7.	श्री प्रेम नारायण चौहान	श्री पवन बारिया, नवगठित सेवा के सदस्य की पदोन्नति कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रूम अटेंडेन्ट के पद पर होने के फलस्वरूप होने वाले नवगठित सेवा के सदस्य के रिक्त पद पर

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
2. यह कि कर्मचारी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खंडपीठ इंदौर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में वचन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी हैं एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अधोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

3. यह कि वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
4. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के अग्रिम अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होंगे, स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. यह कि उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तौर पर है तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना कारण बताये समाप्त कर दी जावेंगी।
6. यह कि, उनकी नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की जाती है कि उन्हें अपनी स्वास्थ्यता का प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र विपरीत पाये जाने पर कर्मचारी की सेवायें समाप्त की जावेगी।
7. कर्मचारी को यह स्वीकार करना होगा कि प्रशासनिक आवश्यकता समझी जाने पर उन्हें जबलपुर तथा खंडपीठ ग्वालियर की स्थापना पर सेवा करने हेतु स्थानांतरित किया जा सकेगा।
8. कर्मचारी को समय-समय पर पारित हिदायतों का कर्तव्यनिष्ठा के साथ पालन करना होगा।
9. यह कि, यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
10. कर्मचारी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे, वे भी उसे मान्य होंगे।
11. यह कि उपरोक्त कर्मचारी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरान्त संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

  
 17.01.22  
 (कृष्णमूर्ति मिश्र)  
 रजिस्ट्रार (सतर्कता)


पृष्ठांकन B/506

जबलपुर, दिनांक 17/01/2022

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर, इन्दौर, मध्यप्रदेश,
2. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इन्दौर,
4. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्यायिक),स्था./लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. सहायक, स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ./प्रोटोकॉल ऑफिसर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. श्री पुरुषोत्तम लाल कवेर, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(कुक्), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
12. श्री करण चौहान, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,

13. श्री पुष्पराज कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
  14. श्री सुरेश सेन, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
  15. श्री सोनू नागर, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
  16. श्री रंजीत डावर, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
  17. श्री प्रेम नारायण चौहान, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार(प्रशासन)  
for